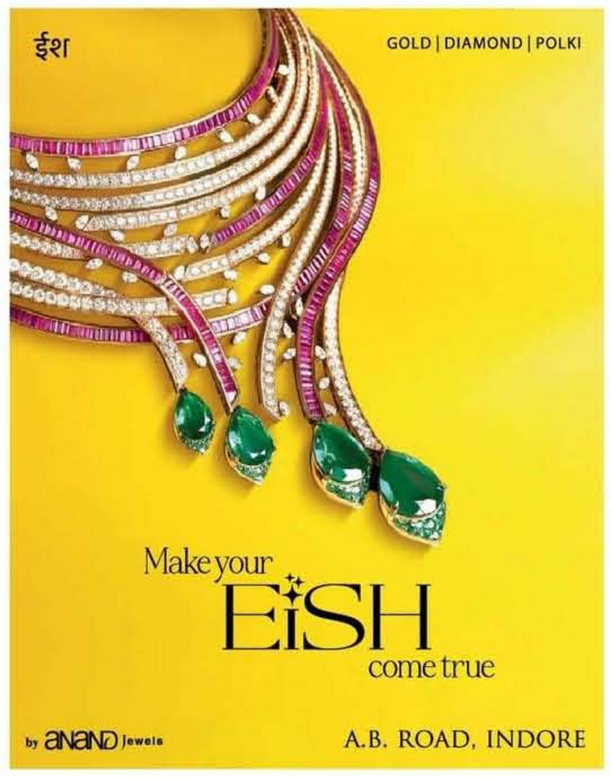


झाबुआः कब्रों पर फूलों की सजावट, मोमबत्तियां जलाकर अपनों को किया याद

झाबुआ | ईसाई समाज ने सोमवार को ऑल सोल्स डे (मृतात्माओं का पर्व) मनाया। समाजजन ने अपने दिवंगत परिजनों और पूर्वजों को याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। परंपरा के अनुसार पहले चर्च में विशेष मीसा (सामूहिक प्रार्थना) आयोजित हुई। इसके बाद समाजजन कब्रिस्तान पहुंचे और अपने परिजनों की कब्रों को फूलों से सजाया। वहां मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कब्रिस्तान में सुबह से ही समाजजनों के पहुंचने का सिलसिला रहा। परिवार के सदस्य एक साथ पहुंचे और पूर्वजों की कब्रों की साफ-सफाई कर उन्हें फूलों से सजाया। मोमबत्तियों की रोशनी के बीच लोगों ने दिवंगत परिजनों को याद किया और उनके लिए प्रार्थना की। ईसाई समाज में ऑल सोल्स डे का विशेष महत्व है। यह दिन दिवंगत विश्वासियों की स्मृति और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के रूप में मनाया जाता है।



डायल 112- से गुंडे के घर शराब पीने गए ASI व हेड कांस्टेबल लाइन अटैच

डीसीपी जोन-2 ने की कार्रवाई, मामले की जांच एसीपी खजराना को सौंपी

भास्कर न्यूज | इंदौर

थाना क्षेत्र की गश्त छोड़कर ग्राम बिहाड़िया में रहवासी कॉलोनी में शराबखोरी करने पहुंचे तिलक नगर थाने के एएसआई श्रीराम परमार और हेड कांस्टेबल विनोद सक्सेना को डीसीपी जोन-2 अमन सिंह राठौर ने लाइन अटैच कर दिया है। वहीं पूरे मामले की जांच करने के लिए एसीपी खजराना आशीष पटेल को कहा है। इसके बाद कार्रवाई होगी।

एसीपी आशीष पटेल ने बताया, तिलक नगर की डायल-112 में पदस्थ दोनों पुलिस कर्मियों को प्राथमिक जांच के बाद अटैच किया है। दोनों के द्वारा शराब पीने की पुष्टि भी हुई है। इसे लेकर इनके खिलाफ विभागीय जांच आदेशित हुई है।

रहवासियों को धमकाने पहुंचे बदमाश के परिचित

बताते हैं रहवासियों ने पुलिस वैन व पुलिस कर्मियों को बदमाश फारूख शाह उर्फ गामा के साथ शराबखोरी करते सीसीटीवी कैमरे में कैद किया था। उस स्थान पर रहने वाले रहवासियों को गामा के परिवार के लोग सुबह-सुबह ही धमकाने पहुंच गए। इसकी भी शिकायत उन्होंने ग्रामीण पुलिस के अधिकारियों से की है।

अधिकारी बोले इवेंट में गए थे, फिर शराबखोरी की

प्राथमिक तौर पर दोनों पुलिस कर्मियों ने एक इवेंट में डायल-112 से खुड़ैल क्षेत्र तक जाने की बात कही है। अभी इनके विधिवत बयान होना हैं। वहीं, डायल-112 के पायलेट की भूमिका को भी जांचा जा रहा है। इधर, सूत्रों की मानें तो पता चला है कि आरोपी इलाके में शराब व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में लिप्त रहे गामा नाम के बदमाश के साथ ताज कॉलोनी में शराबखोरी कर रहे थे। गामा के कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। अफसरों ने अधिकारिक रूप से अभी इसकी पुष्टि नहीं की है।



ओबीसी आरक्षण विवाद में फंसीं 2027 की नई भर्ती की परीक्षाएं

भास्कर न्यूज | ग्वालियर

एमपी पीएससी वन और राज्य सेवा भर्ती परीक्षा 2027 सहित भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं की नई वैकेंसी भी संकट में पड़ गई है। नई वैकेंसी तब तक जारी नहीं होगी, जब तक कि सरकार 87-13 के फॉर्मूले पर कोई निर्णय नहीं ले लेती। हाई कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण खारिज किए जाने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सरकार को वहां से राहत मिलने का इंतजार है, लेकिन अगर कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली तो सरकार को इस मामले में 30 दिसंबर से पहले कोई निर्णय लेना होगा। इसकी वजह यह है कि इन परीक्षाओं की अधिसूचना एमपी पीएससी को 31 दिसंबर से पहले जारी करना अनिवार्य है।

10 से ज्यादा वैकेंसी आना तय, राज्य सेवा 2 बार होगी

फॉरेस्ट, स्टेट सर्विस के साथ 2027 के लिए 10 से ज्यादा परीक्षाओं की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। इसमें स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, सेट (स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट), मेडिकल ऑफिसर भर्ती, मेडिकल एक्सपर्ट, डेंटल सर्जन, होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी मेडिकल ऑफिसर भर्ती, असिस्टेंट मैनेजर और फूड सेफ्टी ऑफिसर जैसी परीक्षाओं के विज्ञापन आने की संभावना है, लेकिन बगैर फॉर्मूला तय हुए विज्ञापन जारी नहीं हो पाएंगे। ओबीसी आरक्षण विवाद के कारण यह मामला रुक गया गया है।

मप्र पुलिस को मिलेंगे 48 नए डीएसपी, दीक्षांत समारोह आज

भोपाल | मप्र पुलिस अकादमी भौंरी स्थित परेड ग्राउंड में 3 नवंबर को सुबह 9:30 बजे 44वें और 45वें बैच के उप पुलिस अधीक्षकों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव होंगे। वे परेड की सलामी लेंगे और परेड का निरीक्षण भी करेंगे। इस समारोह के साथ ही प्रदेश को 48 नए उप पुलिस अधीक्षक मिल जाएंगे। इनमें 20 महिला और 28 पुरुष अधिकारी हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर सेवा देने के लिए तैयार हैं। इन अफसरों में जिला बल के 37, रेडियो संवर्ग के 9 और होमगार्ड के 2 जिला सेनानी अधिकारी शामिल हैं। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा प्रशिक्षण अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैच के विजेता अधिकारियों को शील्ड और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।



पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए 18 माह से आवेदन बंद

भास्कर न्यूज | शहडोल

स्वरोजगार के लिए 15 से 35 प्रतिशत तक सब्सिडी की योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) में 18 माह से आवेदन का पोर्टल बंद है। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के पोर्टल पर आवेदन जमा करने की सुविधा बंद होने का मैसेज फ्लैश होने से बेरोजगार युवा आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।

मप्र में खादी ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से चलने वाली योजना को लेकर शहडोल में प्रबंधक शक्ति सागर बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के बीच तीन साल में बजट से ज्यादा इकाइयों को प्रकरण मंजूर होने के कारण अब सब्सिडी की राशि उन्हीं इकाइयों को भेजी जा रही है, इसलिए नए आवेदन नहीं लिए जा रहे। बता दें कि ये तीनों वित्तीय वर्ष विधानसभा और लोकसभा चुनाव का रहा है। चुनावी वर्ष में ज्यादा प्रकरण मंजूर किए जाने का खामियाजा अब उन नए आवेदकों को भुगतना पड़ रहा है, जो अप्रैल 2025 के बाद 18 माह से सब्सिडी के लिए आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं।

*▮ नई इकाइयों को सब्सिडी मंजूर नहीं होने के मामले को चुनाव से जोड़ना ठीक नहीं होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 तक मंजूर प्रकरणों में ही सब्सिडी का बजट समाप्त हो जा रहा है। जैसे ही बजट की राशि बचने लगेगी तो नई इकाइयों को भी सब्सिडी दी जाएगी।' -**दिलीप जायसवाल**, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग*

उज्जैनः कालिदास अकादमी निदेशक का कार्यकाल खत्म... फिर भी दफ्तर आ रहे

उज्जैन | कालिदास संस्कृत अकादमी में निदेशक के रूप में डॉ. गोविंद गंधे का कार्यकाल लगभग एक माह पहले पूरा हो चुका है। इसके बावजूद निदेशक पद का मोह बना हुआ है। डॉ. गंधे निदेशक की तरह ही दफ्तर में आकर बैठ रहे हैं। सरकारी वाहन (कार) का उपयोग कर रहे हैं। डॉ. गंधे का निदेशक के रूप में कार्यकाल 5 अक्टूबर को समाप्त हो चुका है। संस्कृति विभाग की ओर से अब तक न तो नए निदेशक की नियुक्ति की गई है और न ही डॉ. गंधे के कार्यकाल को बढ़ाने संबंधी कोई आदेश जारी किया गया है। कार्यकाल समाप्त होने के कुछ दिन तक तो डॉ. गंधे दफ्तर नहीं आए। इसके बाद उन्होंने लगातार अकादमी आना शुरू कर दिया। इसके अलावा निदेशक की सरकारी कार का भी लगातार उपयोग कर रहे हैं। कर्मचारियों को भी वे दिशा-निर्देश देते हैं।

मप्र केमिस्ट एसो. चुनावः 25 साल बाद भोपाल के धाकड़ बने प्रदेश सचिव

भोपाल | मध्यप्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के चुनाव में भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र धाकड़ प्रदेश सचिव चुने गए। उन्होंने निवर्तमान सचिव राजीव सिंघल को 32 मतों से हराया। रविवार को इंदौर के एग्जॉटिका रिसॉर्ट में हुए मतदान में 839 वोट पड़े। धाकड़ को 435 और सिंघल को 403 वोट मिले। राजधानी को 25 साल बाद इस पद पर प्रतिनिधित्व मिला है।

अवैध कॉलोनी में बिना मंजूरी के बेचे प्लॉट, 4 कॉलोनाइजर पर केस

ग्वालियर | कृषि भूमि पर प्लॉट काटकर बेचने से पहले न अनुमति ली और न ही कॉलोनाइजर के रूप में पंजीयन कराया। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से लेआउट भी स्वीकृत नहीं कराया, इसके बावजूद कॉलोनी विकसित करने का काम चलता रहा। धनेली और करगवां गांव में इस तरह अवैध कॉलोनी विकसित करने के 3 मामलों में बिजौली थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। कार्रवाई कलेक्टर न्यायालय के आदेश के बाद की गई है। पुलिस ने प्रदीप यादव निवासी बड़ागांव, सिकंदरा इन्फाटेक के पार्टनर सुरेंद्र प्रजापति और रोशन लाल शिवहरे के अलावा करगवां में कॉलोनी विकसित करने के मामले में अमोल सिंह यादव पर प्रकरण दर्ज किया है। एसडीओपी मनीष यादव बताया कि धनेली गांव में प्रदीप यादव अलग-अलग सर्वे नंबरों की जमीन पर कॉलोनी विकसित कर रहे थे।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank ...the name you can BANK upon!

एआरएमबी इंदौर :20 स्नेह नगर, सपना संगीता रोड़, इन्दौर (म.प्र.), मो. 98351 92571 एवं ई-मेल : cs6885@pnb.co.in

अचल संपत्तियो की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) एवं 9 (1) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी सूचना।

आम लोगों को सामान्यतः और ऋण लेने वाले ऋणीयों और जमानतदारों/बंधककर्ता को विशेष रुप से यह सूचित किया जाता है कि सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित की गई निम्न वर्णित अचल संपत्तियों, जिनका रचनात्मक/भौतिक/प्रतिकात्मक कब्जा निम्न विवरण के अनुसार बैंक/सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, का विक्रय ऋणीयों और जमानतदारों/बंधककर्ता से बैंक/सुरक्षित लेनदार द्वारा निम्न बकाया राशि की वसूली के लिये **जहां हैं, जैसा है, जो भी है, जो कुछ भी है के आधार पर** नीचे तालिका में दी गई उल्लेखित दिनांक को किया जायेगा। प्रत्येक संपत्ति का आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि, वृद्धि राशि तथा अन्य विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

लॉट नं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / ऋणी/जमानतदार/ खाते का नाम एवं पता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/ मालिक का नाम (संपत्ति(यों) के गिरवीकर्ता)	A) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस की तिथि B) 13(2) नोटिस बकाया राशि दिनांक तक C) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि D) कब्जे की प्रकृति प्रतीकात्मक/ भौतिक/रचनात्मक	A) आरक्षित मूल्य / B) ईएमडी / C) बोली बढ़ाने की राशि	ई-नीलामी की दिनांक/ समय
1.	**मेसर्स मां केलादेवी लॉजिस्टिक्स (प्रोप्राइटर: सुश्री दर्शना शाक्यवार पिता श्री दिनेश कुमार शाक्यवार)** जमानतदार : दर्शना शाक्यवार पिता श्री दिनेश कुमार शाक्यवार एवं श्रीमती राधा देवी पति श्री प्रभुलाल पंवार **शाखा:** स्कीम नंबर 134, इंदौर (218010)	संपत्ति की समस्त भूमि एवं उस पर निर्मित मकान का विवरण, जो कि सर्वे नंबर 361/2/मिन-1, कुल क्षेत्रफल 0.055 हेक्टेयर पर स्थित है; स्थान- आष्ठ रोड, ग्राम जेठड़, पटवारी हल्का नंबर 33, तहसील शुजालपुर एवं जिला शाजापुर (म.प्र.), कुल क्षेत्रफल 5920 वर्ग फीट, जिसमें से आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित (डायवर्टेड) क्षेत्रफल 2400 वर्ग फीट है (कुल मापा गया क्षेत्रफल 2400 वर्ग फीट)। **चर्तुसीमा** : पूर्व : स्कूल की भूमि, पश्चिम: आष्ठ रोड, उत्तर: रास्ता / मार्ग, दक्षिण: कन्हैयालाल की भूमि **संपत्ति मालिक** : राधा देवी पति श्री प्रभु लाल पंवार **प्रापर्टी आईडी:** PUNB68850012	**A) 07.05.2026 B) 2,14,28,136.89/- + ब्याज + अन्य खर्चे C) 29.07.2026 D) सांकेतिक आधिपत्य**	55,02,000.00 / 5,50,200.00 / 50,000.00	**26.11.2026** प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक (10 मिनिट के असिमित विस्तार के साथ)
2.	**मैसर्स श्री दादाजी ऑईल मिल्स एंड इंडस्ट्रीज (प्रोप्राइटर: श्री मनीष बलवानी, पिता श्री अशोक बलवानी)** **जमानतदार:** 1. श्री मनीष बलवानी पिता श्री अशोक बलवानी 2. श्री राजेश बलवानी पिता श्री घनश्याम दास बलवानी 3. श्री रोहित बलवानी पिता श्री नानकराम बलवानी **शाखा:** खंडवा (026400)	**संपत्ति 1: फैक्ट्री भूमि एवं प्रस्तावित भवन –** जो पटवारी हल्का नंबर 32, खसरा नंबर 447/1/2, ग्राम सुरगांव जोशी, ब्लॉक एवं मंडल छैगांव माखन, खंडवा (मध्य प्रदेश), रकबा 0.40 हेक्टेयर पर स्थित है, **चर्तुसीमा (बिक्री विलेख के अनुसार)** : पूर्व में लक्ष्मीनारायण मुरार की भूमि, पश्चिम में विक्रेता की शेष भूमि, उत्तर में सुरगांव जोशी ग्रामीण मार्ग और दक्षिण में मांगीलाल तुकाराम की भूमि, **मालिक : 1.** श्री मनीष बलवानी पिता श्री अशोक बलवानी एवं **2.** श्री राजेश बलवानी पिता श्री घनश्याम दास बलवानी हैं। **संपत्ति 2: फैक्ट्री भूमि एवं प्रस्तावित भवन** जो पटवारी हल्का नंबर 32, खसरा नंबर 447/2, ग्राम सुरगांव जोशी, ब्लॉक एवं मंडल छैगांव माखन, खंडवा (मध्य प्रदेश), रकबा 0.40 हेक्टेयर पर स्थित है, **चर्तुसीमा (बिक्री विलेख के अनुसार)** : पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में खसरा नं. 447/1/2 की भूमि, उत्तर में आम रास्ता एवं दक्षिण में खसरा नं. 448 की भूमि, **मालिक : 1.** श्री मनीष बलवानी पिता श्री अशोक बलवानी एवं **2.** श्री रोहित बलवानी पिता श्री नानकराम बलवानी। **प्रापर्टी आईडी :-** PUNB68859035	**A) 29.12.2025 B) 4,86,48,227.26/- + ब्याज + अन्य खर्चे C) 24.03.2026 D) सांकेतिक आधिपत्य**	2,23,92,000.00 / 22,39,200.00 / 1,00,000.00 दोनो संपत्तियां संयुक्त रूप से विक्रय की जावेगी	**26.11.2026** प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक (10 मिनिट के असिमित विस्तार के साथ)
3.		**संपत्ति 3:** व्यावसायिक भूमि जो ग्राम सिर्रा, खसरा नंबर 888, पटवारी हल्का नंबर 17, राजस्व निरीक्षक मंडल चिचगोहन, सिर्रा-अत्तार-भैरुखेड़ा रोड, विकास खंड खंडवा, तहसील एवं जिला खंडवा (मध्य प्रदेश), रकबा 1.120 हेक्टेयर पर स्थित है, **चर्तुसीमा (ब्रिक्री विलेख के अनुसार)** : पूर्व में आम रोड, पश्चिम में खसरा नंबर 886 एवं खसरा नंबर 889 की भूमि, उत्तर में खसरा नंबर 887/2 की भूमि एवं सड़क, और दक्षिण में खसरा नंबर 892/1 एवं खसरा नंबर 892/2 की भूमि। **मालिक : 1.** श्री मनीष बलवानी पिता श्री अशोक बलवानी। **प्रापर्टी आईडी :-** PUNB68850036	**A) 29.12.2025 B) 4,86,48,227.26/- + ब्याज + अन्य खर्चे C) 24.03.2026 D) सांकेतिक आधिपत्य**	39,06,000.00 / 3,90,600.00 / 50,000.00	**26.11.2026** प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक (10 मिनिट के असिमित विस्तार के साथ)
4.	**श्री कृतज्ञ शर्मा पिता कैलाश शर्मा** **शाखा:** सियागंज (021300)	आवासीय कॉलोनी 'दिव्य विहार' के प्लॉट नंबर एमआर 10 पर निर्मित बहुमंजिला भवन 'दिव्य विहार' की पांचवी मंजिल पर फ्लेट नं. 504, प.ह.न. 51 ग्राम जख्या, तह. सांवेर, जिला इंदौर, म.प्र. में स्थित है, जिसका सुपर बिल्ट-अप एरिया 610 वर्ग फुट यानी 56.69 वर्ग मीटर, **चर्तुसीमा :** पूर्व : खुला मार्ग, पश्चिम: बिल्डिंग का खुला भाग, उत्तर: फ्लेट नं. 505, दक्षिण: फ्लेट नं. 503. **प्रापर्टी आईडी :-** PUNB68851907	**A) 19.12.2025 B) 56,44,120.26/- + ब्याज + अन्य खर्चे C) 18.04.2026 D) सांकेतिक आधिपत्य**	12,86,000.00 / 1,28,600.00 / 50,000.00	**26.11.2026** प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक (10 मिनिट के असिमित विस्तार के साथ)
5.	**श्री भरत कुमार शुक्ला पिता श्री ओम प्रकाश शुक्ला एवं श्रीमती नेहा शुक्ला पति श्री भरत शुक्ला** **शाखा:** इंदौर-SGSITS (091110)	ब्लॉक डी, फ्लैट नंबर 403, चौथी मंजिल, मलय गोकुल धाम सोसाइटी (गोकुल धाम), छोटा बांगड़दा, इंदौर (म.प्र.) स्थित अचल संपत्ति। क्षेत्रफल- 1131 वर्ग फीट। **चर्तुसीमा** : पूर्व : फ्लैट नंबर डी 404, ब्लॉक डी एवं लॉबी, पश्चिम: फ्लैट नंबर डी 401, ब्लॉक डी, उत्तर: मंदिर एवं गार्डन, दक्षिण: लिफ्ट **संपत्ति मालिक :** श्री भरत कुमार शुक्ला पिता श्री ओम प्रकाश शुक्ला एवं श्रीमती नेहा शुक्ला पति श्री भरत शुक्ला **प्रापर्टी आईडी :-** PUNB68850702	**A) 02.05.2026 B) 35,03,694.00/- + ब्याज + अन्य खर्चे C) 29.07.2026 D) सांकेतिक आधिपत्य**	44,46,000.00 / 4,44,600.00 / 50,000.00	**26.11.2026** प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक (10 मिनिट के असिमित विस्तार के साथ)
6.	**श्री विनोद हरियाणी पिता श्री अशोक हरियाणी एवं श्रीमती एकता हरियाणी पति श्री विनोद हरियाणी मेसर्स स्वास्तीक सेल्स (प्रोप. श्री विनोद हरियाणी)** **शाखा :** विजय नगर, इन्दौर	अचल संपत्ति, प्लॉट नं. 118, सेक्टर ए, शिवधाम कॉलोनी, ग्राम लिम्बोदी, खंडवा रोड, इंदौर, म.प्र. **क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट (92.93 वर्ग मीटर),** **चर्तुसीमाः** पूर्वः अन्य भूमि, पश्चिमः कॉलोनी रोड, उत्तरः प्लॉट नं. 119, दक्षिणः प्लॉट नं. 117 **संपत्ति मालिक:** श्री विनोद हरियाणी पिता श्री अशोक हरियाणी एवं श्रीमती एकता हरियाणी पति श्री विनोद हरियाणी **संपत्ति आईडी:–** PUNB68853655	**A) 05.05.2026 B) 1,83,33,406.89/- + ब्याज + अन्य खर्चे C) 21.07.2026 D) सांकेतिक आधिपत्य**	79,75,000.00 / 7,97,500.00 / 50,000.00	**26.11.2026** प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक (10 मिनिट के असिमित विस्तार के साथ)

नियम एवं शर्तें : बिक्री प्रतिभूमि हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों तथा निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगीः **1.** संपत्तियां **''जहां है, जैसी है'' और ''जो भी है, जैसी है''** के आधार पर बेची जा रही हैं। **2.** उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिय उत्तरदायी नहीं होगा। **3.** बिक्री वेबसाइट **https://baanknet.com** पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी। **5.** सुरक्षित ऋणदाताओं को ज्ञात भारों का विवरण **पंजाब नैशनल बैंक. 4.** बिक्री की विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया **https://baanknet.com** एवं **www.pnbindia.in** देखें। **6.** प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य न हो, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी की शर्तो को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। **7.** निविदा जमा करने की अंतिम तिथि **दिनांक 25.11.2026 रात्रि 11.59 बजे तक।**

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) एवं 9 (1) के अधीन सांविधिक बिक्री सूचना

दिनांक : 03.11.2026 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : इन्दौर **पंजाब नैशनल बैंक (सुरक्षित लेनदार)**

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank ...the name you can BANK upon!

सर्कल ऑफिस, इन्दौर
सर्कल ऑफिस : 20, स्नेह नगर, सपना संगीता, मेन रोड, इन्दौर – 452001
फोन : 2438000, ई-मेल : coindsamd@pnb.bank.in

कब्जा सूचना अचल संपत्ति हेतु नियम 8 (1)

चूँकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **पंजाब नैशनल बैंक,** के प्राधिकृत अधिकारी की हैसियत से, सिक्यूरिटाईजेशन एंड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल असेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट एक्ट 2002 (2002 का 54) के अन्तर्गत एवं सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट (इनफोर्समेंट) रूल्स 2002 के साथ पठित, सेक्शन 13 (12) सहपठित **नियम 3** के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोलिखित खाते के सामने दर्शाई गई तारीख को नोटिस जारी कर, ऋणी/जमानतदार / बंधककर्ता को नोटिस की तारीख / नोटिस प्राप्ति की तारीख से **60 दिन के अन्दर** उक्त खाते के सामने दर्शाई गई राशि अदा करने के लिये कहा था। ऋणी/जमानतदार / बंधककर्ता उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अत: ऋणी/जमानतदार / बंधककर्ता तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट के सेक्शन 13 की उपधारा (4) एवं प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पठित नियम 8 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये अधोलिखित संपत्तियों का **आधिपत्य** ले लिया है। एतद् द्वारा ऋणी/जमानतदार / बंधककर्ता को विशेषत: एवं जनसाधारण को सामान्य रूप से सचेत किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों विषयक कोई संव्यवहार न करे, ऐसा कोई भी संव्यवहार वसूल की जाने वाली नीचे उल्लिखित राशि एवं उस पर ब्याज एवं अन्य खर्चे हेतु **पंजाब नैशनल बैंक** के प्रभार के अधीन रहेगा। ऋणी/जमानतदार / बंधककर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधो की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्रं.	ऋणी/सह-ऋणी/ जमानतदार/बंधककर्ता का नाम	अचल संपत्ति (यों) का विवरण	मांग नोटिस दिनांक/ कब्जा दिनांक	बकाया राशि
1.	**1. मॉं नमामि फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड पता:** सर्वे नंबर 61, बंधन रोड, अमलिया पानी, बड़वानी, म.प्र. 451551 **2. श्री नीरज गुप्ता पिता श्री बद्रीनारायण गुप्ता (निदेशक एवं जमानतदार मॉं नमामि फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड) डीआईएन नंबर 09733874 पता:** 1/1, रणजीत चौक, वार्ड नंबर 06, बडवानी, म.प्र. 451551 **3. श्री कमल कुमार गोले पिता श्री महेश चंद्र गोले (निदेशक एवं जमानतदार मॉं नमामि फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड)** डीआईएन नंबर 09733875 **पता1:** अंजड रोड, कारी, आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, बडवानी, म.प्र. 451551 **पता 2:** कुम्हार मोहल्ला, वार्ड नंबर 7, बडवानी, म.प्र. 451551 **पता 3:** 03, मोलाना आज़ाद मार्ग, गली नंबर 02, वार्ड नंबर 07, बडवानी, म.प्र. 451551 **4. श्री राजेश व्यास पिता श्री रामपाल व्यास (निदेशक एवं जमानतदार मॉं नमामि फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड)** डीआईएन नंबर 09733876 **पता1:** 102/10, मोलाना आजाद मार्ग, बडवानी, म.प्र. 451551 **पता 2:** 101/के, वार्ड नंबर 08, मॉडल स्कूल बोर्ड कॉलोनी, बडकीमेहरी, बडवानी, म.प्र. 451551 **पता 3:** महेंद्र टॉकीज रोड, जैमन कॉलोनी, बडवानी, म.प्र. 451551 **5. श्री सिद्धार्थ कुमार जैन पिता श्री दयाचंद जैन (निदेशक एवं जमानतदार मॉं नमामि फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड)** डीआईएन नंबर 09751571 **पता 1:** 115, एम.जी. रोड, वार्ड नंबर 7, बडवानी, म.प्र. 451551 **अन्य सभी का पता :** पटवारी हल्का नंबर 03 (पुराना), 10 (नया), सर्वे नंबर 61, ग्राम अमलियापानी, तह एवं जिला बडवानी, मध्य प्रदेश **अन्य सभी का पता :** पटवारी हल्का नंबर 03 (पुराना), 10 (नया), सर्वे नंबर 47/1, 47/2 एवं 50/4, ग्राम अमलियापानी, तहसील एवं जिला बडवानी, म.प्र. **शाखा: बड़वानी**	**1.** संपत्ति के शेष एवं संपूर्ण भाग, **भूमि एवं भवन** पटवारी हल्का नंबर 03 (पुराना), 10 (नया) स्थित, सर्वे नंबर 61 क्षेत्रफल रकबा 1.044 हेक्टेयर, ग्राम अमलियापानी, तहसील एवं जिला बड़वानी, म.प्र. **चर्तुसीमाएँ (विक्रय पत्र के अनुसार):** पूर्व: सडक, पश्चिम: सरकारी भूमि, उत्तर: श्री कैलाश शर्मा द्वारा श्री अक्षत पुरोहित को बेची गई भूमि, दक्षिण: सरकारी भूमि **मालिक:** मॉं नमामि फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड CIN No. U15400MP2022PTC062667, PAN NO. AAQCM1802R **अपने निदेशकों द्वारा: 1)** श्री नीरज गुप्ता पिता श्री बद्रीनारायण गुप्ता **2)** श्री कमल कुमार गोले पिता श्री महेश चंद्र गोले **3)** श्री राजेश व्यास पिता श्री रामपाल व्यास **4)** श्री सिद्धार्थ कुमार जैन पिता श्री दयाचंद जैन **2.** संपत्ति के शेष एवं संपूर्ण भाग, **भूमि एवं भवन** पटवारी हल्का नंबर 03 (पुराना), 10 (नया), सर्वे नंबर 47/1 रकबा 0.182 हेक्टेयर, 47/2 रकबा 0.081 हेक्टेयर एवं 50/4 रकबा 0.081 हेक्टेयर, कुल रकबा 0.344 हेक्टेयर, ग्राम अमलियापानी, तहसील एवं जिला बड़वानी, म.प्र. **चर्तुसीमाएँ (विक्रय पत्र के अनुसार):** पूर्व: सडक, पश्चिम: श्री कैलाश शर्मा द्वारा श्री अक्षत पुरोहित को बेची गई भूमि, उत्तर: नाला, दक्षिण: मनीष शर्मा की भूमि **मालिक:** मॉं नमामि फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड CIN No. U15400MP2022PTC062667, PAN NO. AAQCM1802R **अपने निदेशकों द्वारा: 1)** श्री नीरज गुप्ता पिता श्री बद्रीनारायण गुप्ता **2)** श्री कमल कुमार गोले पिता श्री महेश चंद्र गोले **3)** श्री राजेश व्यास पिता श्री रामपाल व्यास **4)** श्री सिद्धार्थ कुमार जैन पिता श्री दयाचंद जैन	**03.08.2026 / 28.10.2026**	₹ **15,39,45,010.48** + ब्याज एवं अन्य खर्चे

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 03-11-2026 **प्राधिकृत अधिकारी – पंजाब नैशनल बैंक**